

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 4 जनवरी, 2013 / 14 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या मुद्रण (बी) 10 (22)/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, मकैनिक (मुद्रण), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (मुद्रण), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2012 है।
 - (II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(I) अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2—22/99 तारीख 27—9—2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (मुद्रण) वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 2000 का एतदद्वारा निरसन किया जाता हैं।
- (II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उर्पयुक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (मुद्रण), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

- 1. **पद का नाम**.—मकैनिक (मुद्रण)।
- 2. पद (पदों) की संख्या.—2 (दो)।
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं।
- **4. वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड 5910—20200 / रूपए जमा 1900 / रूपए ग्रेड पे।
- (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 7810 / रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।
 - 5. **'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**—अचयन पद।
 - **6. सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी

जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारमीक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

- (I) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.—(क) अनिवार्य अहर्ता(एं) : (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य हो ।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मकैनिक (मुद्रण) के ट्रेड में दो वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स या इसके समतुल्य ।
- (iii) सरकारी मुद्रणालय या आई. एस. ओ. का प्रमाण पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय से मुद्रण, जिल्दबन्दी, तथा मकैनिक कर्मशाला के यन्त्र उपकरणों की मुरम्मत, रख–रखाव के कार्य का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।
- (ख) वांछनीय अहर्ता : हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
- 10. भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलिब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
- 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानातरण किया जाएगा.—लागू नही ।
 - 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—िकसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- **15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :—
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (मुद्रण) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर सविदा की अविध में विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अविध विस्तारित / नवीकृत की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेष अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
 - (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त मकैनिक (मुद्रण) को 7810 / रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेडे पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों)के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में 240 / रूपये की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
- (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- (ट) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से सलं ग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
- (VII) निबन्धन और शर्ते.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810 /— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240 /— रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा / होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त कि अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगी:

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा । और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
- (ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।
 - 17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं ।
- 18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध 'ख'

मकैनिक (मुद्रण) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

•	यह करार श्री / श्रीमती			पत्र / पर्त्र	ो श्री				
पक्षकार''	कहा गया है), और हिमाचल प्रव	देश की राज	ज्यपाल, के ग	मध्य नियन	न्त्रक, म	नुद्रण एव	ं लेखन	सामग्री	विभाग,
हिमाचल	प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चा	त् ''द्वितीय	पक्षकार'' क	हा गया है	है) के र	नाध्यम र	ने आज	तारीख	
	को किया गया।								

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मकैनिक (मुद्रण) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार मकैनिक (मुद्रण) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और......को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.................. दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अविध में विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अविध विस्तारित / नवीकृत की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810 / रूपए प्रतिमास होगी ।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त मकैनिक (मुद्रण) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त मकैनिक (मुद्रण) को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनिधकृत अनुपर्थित से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपर्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम

उल्लिखित तारीख को अपन	1—अपने हस्ताक्षर कर ि	देए हैं ।		
साक्षियों की उपस्थिति में:—				
(नाम व पूरा पता) 2				
(नाम व पूरा पता) साक्षियों की उपस्थिति में:—			(प्रथम पक्षकार के हस्त	गक्षर)
(नाम व पूरा पता) 2				
(नाम व पूरा पता)			(द्वितीय पक्षकार के हस्त	गक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No: Mudran(B)10(22)/2010 dated 27-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th December, 2012

- **No. Mudran (B)10-(22)** /2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Mechanic (Printing) ,Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Printing), Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.
- 2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Printing), Class-III (Non-Gazetted) (Recruitment and Promotion) Rules, 2000 notified vide Notification No: Mudran (B)2-22/99 dated 27-9-2000 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order Sd/- Secretary (P&S).

Annexure"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MECHANIC (PRINTING) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.— Mechanic (Printing)
- 2. Number of Post(s).— 2(Two)
- **3.** Classification.— Class-III(Non-Gazetted) (Non –Ministerial Services)
- **4.** Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents ₹ 910-20200+1900/-Grade Pay.
 - (ii) Emoluments for contract employees ₹ 7810/- P.M. (as per details given in Col.15-A.)
- 5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non –Selection
- **6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh subordinate service selection comission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— Essential Qualification(s).—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education /university.
- (ii) Two years Certificate Course in the trade of Mechanic (Printing) or its equivalent from an I.T.I. or an institution duly recognized by the Central /State Government.
- (iii) Three years practical experience in repair, maintenance work of Printing, binding and Mechanical workshop's machinery equipments in a Government Printing Press or an ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification.—Not Applicable

- **9. Period of probation, if any.**—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—
 (i)100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.No: 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
- 11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation /transfer is to be made.—Not Applicable
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—Not Applicable
- 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- **14.** Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may

be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.

- 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mechanic (Printing) in Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis;

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

- **(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.**—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mechanic (Printing) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7810/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 240/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.
- **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.
- **(VI) (AGREEMEMT).**—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure –B ppended to these Rules.
- **(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.
- (h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 17. **Departmental Examination.** Not applicable.
- **18. Powers to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Mechanic (Printing) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. H.P.

This agreement is made on this	day of	in the year	
Between Sh/SmtS/o /D	D/o Shri		
R/o			
Contract appointee (herein after called the FIRS	ST PARTY) AND The	e Governor, Himachal	Pradesh
through-Controller, Printing and Stationery D	Department, Himachal	Pradesh. (here-in-after	er called

the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mechanic (Printing) on contract basis on the following terms and conditions:—

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

- 2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 7810/-per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
- 4. Contractual Mechanic (Printing) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Mechanic (Printing).

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

- 5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mechanic (Printing) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- 6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:			
1			
(Name and full Address)	(Signature of the FIRST PA)		
2	(Signature of the First Frierr)		
(Name and full Address)			
IN THE PRESENCE OF WITNESS:			
1			
(Name and full Address)	(Signature of the SECOND PARTY)		
2	(Signature of the SECONS Truct 1)		
(Name and full Address)			
	a, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District la, Himachal Pradesh		
Shri Prakash s/o Shri Shiv Ram District Shimla, Himachal Pradesh	n, r/o Village Khagan, P. O. Dhamandri, Tehsil Theog, Applicant.		
	Versus		
General Public	Respondent.		

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Prakash s/o Shri Shiv Ram, r/o Village Khagan, P. O. Dhamandri, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Miss Saniya whose date of birth is 20-9-2007 in the record of Gram Panchayat.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in

writing in this court on or before 17-1-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-12-2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Rajinder s/o Shri Narayan Singh, r/o Village Badial, P. O. Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Rajinder s/o Shri Narayan Singh, r/o Village Badial, P. O. Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Aarti whose date of birth is 24-9-2012 in the record of Gram Panchayat Majhar.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 17-1-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-12-2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Vivek Chauhan s/o Shri Nand Lal Chauhan, r/o Village Janol, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Vivek Chauhan s/o Shri Nand Lal Chauhan, r/o Village Janol, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Somil whose date of birth is 11-4-2010 in the record of Gram Panchayat Ram Nagar, Tehsil Kotkhai.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 17-1-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-12-2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

रजनी देवी पत्नी सन्तोख सिंह जात जट, वासी गांव व डाकखाना बढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने नाम दरुस्ती कुलदीप सिंह से सन्तोख बाबत अराजी खेवट नं0 823, 824, 825, 827, 1944, जमाबन्दी वर्ष 2009–2010, महाल व मौजा बढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

उक्त उनवान बाला मुकद्दमा इस अदालत में जेरे समायत है जिस में अगामी तारीख पेशी 16—1—2013 निश्चित है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रजनी देवी पत्नी सन्तोख सिंह ने इस अदालत में केस दर्ज किया है कि उसके पित का नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरवन्स गल्त चला आ रहा है जबिक उसके पित का नाम श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री हरवन्स सिंह है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरवन्स सिंह की वजाए कुलदीप सिंह उपनाम सन्तोख सिंह पुत्र श्री हरवन्स सिंह नाम दरुस्त करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16–1–2013 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर कोई उजर प्राप्त न हुआ तो उक्त नाम की दरुस्ती कर दी जाएगी।

आज दिनांक 21-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।